

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली - 110067

संचिका सं. CICOM/R/2018/50074

दिनांक 02.02.2018

सेवा में,

श्री अभय कुमार,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 01.02.2018 ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10	वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है ।
बिंदु सं. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20	वांछित सूचना सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः जन सूचना अधिकारी ऐसी सूचनाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं ।
बिंदु सं. 15	आर.टी.आई. के तहत प्राप्त शिकायतों को निपटाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है ।
बिंदु सं. 16	आपका यह ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 01.02.2018 को प्राप्त हुआ एवं दिनांक 02.02.2018 को इसका प्रतिउत्तर दिया जा रहा है ।
बिंदु सं. 17	इस आर.टी.आई. को निपटाने हेतु कोई नोटिंग नहीं लिखी गई है ।
बिंदु सं. 18	अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त इस आर.टी.आई. को निपटाने में अन्य किसी अधिकारी की भूमिका नहीं है ।
बिंदु सं. 19	केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता इस पत्र में नीचे लिखा हुआ है ।
बिंदु सं. 21	आपका यह आवेदन 6 (3) के तहत किसी अन्य विभाग/जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित नहीं किया गया है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

उत्तर के. शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690